बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, पटना—800 010

अधिसूचना संख्या— 05 पटना, दिनांक— 03-04-23

—: अधिसूचना :—

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—980 (अ.), दिनांक—02.03.2021 द्वारा ऐसी विद्यमान परियोजनाऐं (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की अनुसूची में मद संख्या—2, 3, 4 एवं 5 के समाने सूचीबद्ध) जिनके पास पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Environemntal Clearance) प्राप्त है तथा प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं करती है (No increase in pollution load) को उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति की सम्पूर्ण प्रक्रिया से छूट प्रदान की गयी है। परन्त, ऐसी छूट देने के पूर्व परियोजना प्रस्तावक को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा सूचीबद्ध पर्यावरण आंकेक्षण (Environmental Auditor) के स्तर से ''प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं'' का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर आवेदन वांछित दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। इसके पश्चात् इकाई को उपरोक्त आवेदन की पावती के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् में सभी दस्तावेजों के साथ समर्पित कर अनुरोध पत्र समर्पित की जानी है। उपरोक्त आवेदन एवं प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं से संबंधित प्रमाण—पत्र की जांच बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से किया जाना है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में पर्षद् मंडल की दिनांक—14.11.2022 को आयोजित 113वीं बैठक के कार्यावली संख्या—10(2) में लिये गये निर्णय के आलोक में परियोजना प्रस्तावक को ''प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं'' के प्रमाण—पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ शुल्क के रूप में रूपये 1,50,000/—(एक लाख पचास हजार) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जाना है।

इसका क्रियान्वयन पर्षद् मंडल में लिये गये निर्णय की तिथि अर्थात् 14.11.2022 से प्रभावी होगी।

03/4/23

(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य—सचिव।